

कार्यालय, जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी

पत्रांक- / जि0का0अधि0/ विज्ञापित/ 2025-26 दिनांक 10 नवम्बर, 2025

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद लखीमपुर खीरी के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में संघालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मानदेय पर संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	पलिया	03	01	01	01	00
2	पसगंवाँ	01	01	00	00	00
3	निघासन	02	01	01	00	00
4	मितौली	02	00	01	01	00
5	नकहा	01	00	01	00	00
6	कुम्भी-गोला	01	01	00	00	00
7	मोहम्मदी	01	00	00	01	00
8	रमियाबेहड़	01	00	00	01	00
कुल योग		12	04	04	04	00

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
- ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
- ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी।
- चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।

9. निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
 10. आय प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।
 11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/ऑकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जायेगे, तो अभ्यर्थन निस्त कर दिया जाएगा।
 12. ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 01.12.2025 होगी।
- नोट :- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(भारत प्रसाद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
लखीमपुर खीरी

पुष्पांकन संख्या- C-2494/तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित-

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखीमपुरखीरी।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सदस्यगण चयन समिति, लखीमपुर खीरी।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित है कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद लखीमपुर खीरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर खीरी को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरों पर दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण एवं हिन्दुस्तान बरेली संस्करण समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
लखीमपुर खीरी